

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 24/2022

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/37

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल उदयपुर

अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री लक्ष्मण प्रजापत पुत्र श्री कचरा प्रजापत
निवासी प्रजापत मोहल्ला, खमेरा, तहसील
घाटोल जिला बांसवाड़ा (ऋणी)
2. श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री लक्ष्मण प्रजापत
निवासी प्रजापत मोहल्ला, खमेरा, तहसील
घाटोल जिला बांसवाड़ा (सहऋणी /
बंधक कर्ता)
3. श्री बंशीलाल प्रजापत पुत्र श्री लक्ष्मण
प्रजापत निवासी प्रजापत मोहल्ला, खमेरा,
तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा
(सहऋणी)
4. श्री नाथु लाल प्रजापत पुत्र श्री लाला उर्फ
लालू निवासी 312, जैन मन्दिर के पास,
वार्ड सं. 7, खमेरा तहसील घाटोल जिला
बांसवाड़ा (जमानती)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 31-05-2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री लक्ष्मण प्रजापत पुत्र श्री कचरा प्रजापत निवासी प्रजापत मोहल्ला, खमेरा, तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (ऋणी) 2- श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री लक्ष्मण प्रजापत निवासी प्रजापत मोहल्ला, खमेरा, तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (सहऋणी / बंधक कर्ता) 3- श्री बंशीलाल प्रजापत पुत्र श्री लक्ष्मण प्रजापत निवासी प्रजापत मोहल्ला, खमेरा, तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (सहऋणी) 4- श्री नाथु लाल प्रजापत पुत्र श्री लाला उर्फ लालू निवासी 312, जैन मन्दिर के पास, वार्ड सं. 7, खमेरा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (जमानती) मे से अप्रार्थी सं. 1 से 3 को दिनांक 18.02.2018 को राशि रुपये 10,000 (अक्षरे बारह लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 19.06.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 26-07-2021 को कुल बकाया राशि 11,00,310 रु. (ग्यारह लाख तीन सौ दस रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण **श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री लक्ष्मण प्रजापत** की सम्पत्ति जो सर्वे सं. 354, उदाजी का गडा, पटवार क्षेत्र खमेरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 3000 वर्ग फीट है, जिसके पूर्व में श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र की भूमि, पश्चिम में स्वयं की भूमि, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में श्री जीवना पुत्र धूलीया भील की शेष भूमि है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।


वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 11-08-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 06-05-2022 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नोटिस दिनांक 26-05-2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुए किन्तु अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

अतः नोटिस बाद तामील प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगण सं 1 से 4 को समुचित अवसर प्रदान करने व बावजूद अनुपस्थित रहे हैं। अतः अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।




कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)


दिनांक 31-05-2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 31-05-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलेक्टर एक जिला न्यायालय
बासवा (राज.)